न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः सुमित्रा पारीक, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 13/2019, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. गैर सायल मंगलराम पुत्र श्री हरिनारायण जाति कुम्हार निवासी लवाण थाना लवाण जिला दौसा।

(कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975)

उपस्थिति : लोक अभियोजक – राजकीय अधिवक्ता उपस्थित ।
: अधिवक्ता गैर सायल श्री समरथ लाल मीना।

–: निर्णय :– दिनांकः–20.03.2024

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना लवाण जिला दौसा की ओर से पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा संक्षिप्त वाक्यात इस प्रकार से है कि गैर सायल मंगलराम पुत्र श्री हरिनारायण जाति कुम्हार निवासी लवाण थाना लवाण जिला दौसा के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र. स.	मुकदमा संख्या	धारा	चार्जशीट सं.	दिनांक	निर्णय अदालत
1.	64/2015	13 RPGO	54/2015	09.06.2015	ग्राम न्यायालय दौसा से जुर्माना 100/–
2.	90/2015	13 RPGO	81/2015	15.08.2015	ग्राम न्यायालय दौसा से जुर्माना 100/–

उक्त शख्स मंगलराम पुत्र श्री हरिनारायण जाति कुम्हार निवासी लवाण थाना लवाण जिला दौसा आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। जिसके विरूद्ध धारा 13 आरपीजीओ के प्रकरण थाना लवाण में दर्ज है। उक्त शख्स अभी भी चोरी छिपे जुंआ खेलने जैसे अपराध कर रहा है। जिसके कारण समाज के व्यक्तियों एवं उनकी सम्पत्तियों को खतरा उत्पन्न हो गया है। गैर सायल का इलाके में इतना भय एवं आतंक व्याप्त है कि आम नागरिक इसके विरूद्ध रिपोर्ट लिखवाने अथवा गवाही देने से भय खाते है अथवा कतराते है। इसकी आपराधिक गतिविधियां बढती जा रही है तथा रात दिन इसके पास आपराधिक व्यक्तियों का समागम बना रहता है। गैर सायल को न्यायालय से पाबन्द करवाये जाने के बाद भी गैर सायल आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त है। गैर सायल की आपराधिक गतिविधियों पर नियन्त्रण करने व समाज में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु यह इस्तगासा प्रस्तुत कर उक्त गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासित करने की कार्यवाही कराने का निवेदन किया गया है।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से अधिवक्ता श्री समरथ लाल मीना द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। गैर सायल एवं अधिवक्ता गैर सायल बहस के दौरान उपस्थित नहीं आये। लोक अभियोजक की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.03.21 18:42:14 IST
Reason: SelfAttested

लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि गैर सायल अपराधी के विरूद्ध थाना लवाण में जुंऐ सट्टे के अपराध से सम्बन्धित प्रकरण दर्ज है, जिसमे गैर सायल को ग्राम न्यायालय से सजा भी हो चुकी है। न्यायालय से गैर सायल को पाबन्द करवाये जाने के बाद भी गैर सायल जुएं सट्टे के अपराध में लिप्त है। गैर सायल की आपराधिक गतिविधियां बढती जा रही है, जिससे समाज में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अशान्ति व भय उत्पन्न हो गया। गैर सायल जुर्म करने का अभ्यस्थ हो गया है। गैर सायल का स्वछन्द रहना समाज के लिये संकटमय हो गया है। गैर सायल धारा 13 आरपीजीओ में बार–बार सजायाब हो चुका है। अतः गैर सायल मंगलराम पुत्र श्री हरिनारायण जाति कुम्हार निवासी लवाण थाना लवाण जिला दौसा को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण एक्ट 1975 के अन्तर्गत दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है, ताकि उक्त शख्स की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लग सके।

अधिवक्ता गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार गैर सायल को दिये गये नोटिस में जिन मुकदमात का हवाला दिया गया है, वह गम्भीर किस्म के केस नहीं है, केवल 13 आरपीजीओ के केस है। जिनका निर्णय भी न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। गैर सायल के खिलाफ कोई फौजदारी केस दर्ज नहीं है। गैर सायल कोई हिस्ट्रीशीटर व्यक्ति भी नहीं है। गैर सायल अब सद्चरित्र रहकर अपना जीवन यापन कर रहा है। गैर सायल गरीब एवं मजदूर पेशा व्यक्ति है, जो बमुश्किल अपना व अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है। गैर सायल के विरूद्ध प्रस्तुत गुण्डा एक्ट की कार्यवाही को ड्रोप फरमाने का निवेदन किया गया है।

बहस लोक अभियोजक एवं अधिवक्ता गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैर सायल के विरूद्ध पूर्व में जुआं एवं सट्टा खेलने के कारण धारा 13 आरपीजीओ के प्रकरण दर्ज है, जिसमे ग्राम न्यायालय द्वारा गैर सायल को सजा से दण्डित भी किया जा चुका है। जिला पुलिस अधीक्षक दौसा द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार गैर सायल मंगलराम पुत्र श्री हरिनारायण जाति कुम्हार निवासी लवाण थाना लवाण जिला दौसा अभी भी जुंआ सट्टा खेलकर आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होने के कारण उक्त अधिनियम के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। वर्तमान में लोकसभा आम चुनाव–2024 के मध्यनजर जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं आमजन को जुआ–सट्टे के अपराध के दुष्प्रेरण से बचाने के लिये ऐसे आदतन अपराधी के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा एक्ट 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे अपराधी समाज के माहौल को खराब नहीं कर सके एवं समाज में शांति एवं सदभावना बनी रहे।

उपरोक्त विवेचनानुसार गैर सायल मंगलराम पुत्र श्री हरिनारायण जाति कुम्हार निवासी लवाण थाना लवाण जिला दौसा को दिनांक 21.03.2024 से 45 दिवस की समयावधि के लिए दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि गैर सायल बस्सी जिला जयपुर के रास्ते होते हुए थाना कानोता जिला जयपुर पहुंचेगा तथा अपनी उपस्थिति थानाधिकारी कानोता जिला जयपुर को दर्ज करवाएगा। निष्कासित समयावधि में गैर सायल थाना क्षेत्र कानोता जिला जयपुर में निवास करते हुए प्रत्येक बुधवार को थानाधिकारी थाना कानोता जिला जयपुर के समक्ष अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक दौसा एवं जयपुर ग्रामीण को पालना हेतु आदेश की प्रति भिजवाई जावे।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

यह निर्णय आज दिनांक 20.03.2023 को खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.03.21 18:42:14 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official